

18/2/13



48

रीवा केन्द्र

न्यायालय श्रीमान् स्वस्य महोदय म० प्र० राजस्व मण्डल सर्किट कोर्ट रीवा,

जिलारीवा म० प्र०

निगरानी प्रकरण क्र० /2013



श्री सुनील मिश्रा
वकाय प्रोग 18.2.13
सर्किट आफ कोर्ट
राजस्व मण्डल, म० प्र०
रवायिपर

R-1254-11/13

- 1- मोहन यादव तनय ददौराम यादव
- 2- राम कुशल तनय ददौराम यादव
- 3- श्रीमती रनिया यादव पत्नी स्व० ददौराम यादव

4- श्रीमती सुशोला यादव पत्नी स्व० मुरलीयादव

5- धनश्यामयादव पिता स्व० मुरलीयादव समस्त निवासी
ग्राम महाजन टोला रीवा, तह० हुजूर, जिलारीवाम० प्र० ---- आवेदकगण

केनाम

ईश्वरदीन यादव तनय स्व० भगवानदीन यादव साकिन महाजन टोला

रीवा तह० हुजूर, जिलारीवा म० प्र० ----- अनावेदक

निगरानी विरुद्ध आदेशअपर कमिश्नर

महोदयरीवा संगरी दिनांक 23-1-13

व 8-8-12 बावत प्रकरण क्र० 1248/अपील/

11-12

संक्षेप में तथ्य

विवादित मूमिन० 39/7 जो आवेदकगण की पुस्तनी मूमियो

है, जो पहले अवधि आवेदक के पिता ददौराम यादव केनाम अमिलखित मूमिस्वामी
स्वत्व स्वामित्व आधिपत्यधारी थी, जिसका कही कोई अन्तरण किसी

M

100

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक R.1254.III/13 जिला रीवा

मोहन यादव / रीवरदीन

(1)	(2)	(3)
<p>20.6.2016</p> <p>(18)</p>	<p>जिला अधिवक्ता संघ. जिला रीवा(म.प्र.) के पत्र क्रमांक 137/16 दिनांक 14.6.16 द्वारा लेख किया गया है कि कतिपय मार्गों के संदर्भ में दिनांक 15.6.16 से अधिवक्तागण न्यायालयीन कार्य से पृथक रहेंगे। चूंकि अधिवक्तागण आज दिनांक 20.6.16 को भी न्यायालयीन कार्य से पृथक है।</p> <p>अतएव प्रकरण दिनांक 27-9-16 को नियत किया जाता है।</p> <p>आज्ञा से रीडर</p>	<p>अ. अधि रहील डाल 29/146/11.17 लगातार 13.1.17 रीडर</p>
<p>27-9-16</p> <p>(2)</p>	<p>1- आवेदक की ओर से श्री रजनीश मिश्रा अधिवक्ता उपर।</p> <p>2- आवेदक की ओर से श्री नागेन्द्र सिंह कचुली, एडवोकेट।</p> <p>3- अधीन आपा के अधिलेख भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार मांगपत्र जारी किया जाय।</p> <p>4- वास्तव अधिलेख पुलीशा।</p> <p>C.F. 18.1.17</p> <p>त्रिणा रे, रीडर</p>	<p>मिठापुत्रा 28.09.16</p> <p>11/1 18.1.17 A.M.</p>
<p>18.1.17.</p> <p>M</p>	<p>अवेदक अधिलेख- कताप रलकला डालकेयता। उन्के हल प्रकरण नाले प्रकर करने का अनुबंध विधि। अवेदक अधिलेख के अनुबंध पर प्रकरण नाले प्रकर के समाप्त किया जाती है। प्रकरण एडवोकेट 12/11/17 है।</p> <p>स.र.र.</p>	<p>M.F. 18/1/17</p> <p>Not Press</p>